

  
**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**  
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5070/2026

Kumar Shanu S/o Vijay Kumar, R/o Village Borana, P.s. Gogari,  
Dist. Khagdiya (Bihar) (At Present Confined In Central Jail Kota).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

---

|                   |   |                                                  |
|-------------------|---|--------------------------------------------------|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Mukesh Sharma<br>Mr. Manoj Kumar Prajapat    |
| For Respondent(s) | : | Mr. Manvendra Singh, P.P.<br>Mr. Rajendra Sharma |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI**

**(V. J.)**

**Order**

**08/06/2026**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना अनन्तपुरा, कोटा शहर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 316/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 318(2), 316(2) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या लिप्त किया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त एवं परिवादी पक्ष के मध्य राजीनामा हो चुका है, जो विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.05.2026 को तस्दीक हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 07.03.2026 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर 8500 लोगों के साथ ठगी करना बताया गया है, अतः अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता परिवादी का तर्क है कि परिवादी पक्ष एवं अभियुक्त के मध्य प्रकरण में राजीनामा हो चुका है जो विचारण न्यायालय के समक्ष तस्दीक भी हो चुका है, अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी पक्ष एवं अभियुक्त के मध्य प्रकरण में राजीनामा हो चुका है तथा राजीनामा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.05.2026 को तस्दीक किया जा चुका है। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध 8500 लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है, किन्तु इस प्रकार का तथ्य अनुसंधान से सामने नहीं आया है, प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 07.03.2026 से अभिरक्षा में है, प्रकरण में परिवादी पक्ष एवं अभियुक्त के मध्य राजीनामा होने के तथ्य प्रकट हुए हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **कुमार शानू पुत्र श्री विजय कुमार** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब

किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास—पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (V. J.)),J